# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

*शिकायत प्रकरण क्रमांक 586/2008*

1. श्री राधेश्याम सिंह राजपूत, – *शिकायतकर्ता*
ग्राम–परपोडा, पोस्ट–मोहभट्‌टा, तहसील–बेरला,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सचिव,* – *अनावेदक*
ग्राम–परपोडा, पोस्ट–मोहभट्‌टा, तहसील–बेरला,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

*//आदेश//*
*(दिनांक 30 मार्च, 2009)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री राधेश्याम सिंह राजपूत द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत, बेरला के समक्ष दिनांक 27.05.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर दिनांक 03.07.2008 को सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा 21 हजार रूपये शुल्क की डिमांड नोटिस के बाद दिनांक 07.07. 2008 को उन्होंने 21 हजार रूपये जमा कराया, किन्तु दिनांक 16.07.2008 तक उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 16.07.2008 को उनके द्वारा आयोग में यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में विलंब के लिए सचिव को 25 हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 16.12.2008 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उनके द्वारा यह बताया गया कि जनपद पंचायत को प्रस्तुत आवेदन उनके पास दिनांक 10.06.2008 को प्राप्त हुआ था और उसके बाद दिनांक 03.07.2008 को शुल्क जमा कराने की सूचना जारी की तथा दिनांक 07.07.2008 को 21 हजार रूपये जमा हुऐ और उसके बाद दिनांक 14.07.2008 को उनके द्वारा दो बक्से रजिस्ट्री पार्सल के माध्यम से जानकारी शिकायतकर्ता की ओर भेजी गई थी, जो उन्होंने लेने से इंकार किया और वे जानकारी उपलब्ध कराने को तैयार है । तत्पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह निर्देश दिये गये थे कि अब समस्त जानकारी शिकायतकर्ता को अपने समक्ष बुलाकर प्रदान करावे । प्रकरण में सचिव ने दिनांक 11.02. 2009 के पत्र द्वारा यह भी बताया कि आवेदक को जानकारी देने के प्रयास के बाद भी वे बार–बार यह कहते थे कि जो जानकारी चाहेंगे वे सचिव के हाथ ही से लेंगे और शिकायतकर्ता से उसकी पारिवारिक रिस्तेदारी है तथा लेन–देन संबंधी विवाद भी चल रहा है और वे ग्राम पंचायत के सचिव के पद से हटवाना चाहते हैं, इसलिए वे लगातार परेशान कर रहे हैं । प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने काफी विस्तृत जानकारी चाही थी, जो बाद में सचिव द्वारा समयावधि में डाक से भेजी थी और उस डाक से भेजी गई जानकारी को शिकायतकर्ता ने लेने से इंकार किया था तथा उनकी यह जिद किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि वे जानकारी सचिव के हाथ से ही लेंगे

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

और दिनांक 27.02.2009 को शिकायतकर्ता ने जानकारी जनपद पंचायत के माध्यम से प्राप्त कर ली है । प्रकरण में मौखिक तर्क के समय दो बिन्दुओं पर शिकायतकर्ता ने यह बताया कि उसे मूलभूत व्यय की जानकारी चार्ट के साथ चाहिए तथा इंदिरा आवास योजना में लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी चाहिए, अतः इन दोनों जानकारियों के संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि यह जानकारी अब शिकायतकर्ता को एक सप्ताह में निःशुल्क प्रदान किया जावे । प्रकरण में जो भी विलंब हुआ है वह शिकायतकर्ता के कारण हुआ है, अतः उपरोक्त स्थिति में सचिव पर अर्थदण्ड किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में चूंकि शिकायतकर्ता ने शुल्क के रूप में काफी बड़ी राशि जमा की है, अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत यह देख लें कि जो जानकारी दी गई है, यदि शिकायतकर्ता यह कहते हैं कि उनके द्वारा बिना मॉगी गई जानकारी देकर अधिक राशि ली गई है अथवा कम पृष्ठ की जानकारी दी गई है तो उनसे अधिक जमा की गई शुल्क की राशि की गणना करके उसे लौटाया जावे । साथ ही यदि अभी कोई जानकारी दिया जाना शेष हो तो उसका निःशुल्क निरीक्षण कराया जाकर, वह जानकारी अब 15 दिवस के अंदर निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में ग्राम पंचायत की ओर से शुल्क की राशि की सूचना थोड़ी विलंब से दी गई है, अतः विलंब के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से राशि 400/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायतकर्ता को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com